रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 280] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 1975/श्रावण 8, 1897

No. 280] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 1975/SRAVANA 8, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Export Production)

NOTIFICATION

(RUBBER CONTROL)

New Delhi, the 30th July 1975

S.O. 395(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Rubber Act, 1947 (24 of 1947) and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. S.O. 162, dated the 13th January, 1961, the Central Government hereby appoints the date of publication of this notification in the Official Gazette as the date from which the duty of excise at the rate of forty paise per kilogram of rubber shall be levied as cess on all rubber produced in India.

[No. 19(22)/74-PLANT(B)]

R. TIRUMALAI, Addl. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

(निर्यात उत्पादन विभाग)

अधिसूचना

(रबड़ नियंत्रण)

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1975

का०आ० 395 (अ).—रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 162, दिनांक 13 जनवरी, 1961 का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को एतद्द्वारा वह तारीख निर्धारित करती है जिससे भारत में उत्पादित सभी रबड़ पर उपकर के रूप में चालीस पैसे प्रति किलोग्राम रबड़ की दर पर उत्पादन शुल्क लगाया जायेगा।

[सं० 19(22)/74—प्लांट (बी)]

आर० तिरुमलई, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975